

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रकरण संख्या
1003/2025

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक
20.12.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
01.01.2025

1. बगतू पुत्र सोहन भील निवासी लोटियास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा
2. गमानी पुत्री सोहन भील निवासी लोटियास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा
3. छाऊ पत्नि सोहन भील निवासी लोटियास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा

— प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र तुलछा भील निवासी भील्याखेडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
2. जगपालसिंह पुत्र दिलीपसिंह शक्तावत निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजकुमार पुत्र जगदीश शर्मा निवासी भीलो की कॉलोनी, पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
4. लादूलाल पुत्र भैरूलाल गाडरी निवासी खोलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिरे तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 4 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू.अ.नि.क्षे. पांसल तहसील व जिला—भीलवाडा की सरहद में हम प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2277/3 रकबा 0.1707 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2278/3 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.2592 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 3 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू.अ.नि.क्षै. पांसल तहसील व जिला-भीलवाडा में आराजी संख्या 2277/3 रकबा 0.1707 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2278/3 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2592 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01-07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलाराज सिंह बाण्डावत)
अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा